1. भारत का चुनाव आयोग

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया लोगो।

मुख्यालय - निर्वाचन सदन (नई दिल्ली)।

• स्थापना - **25** जनवरी**, 1950**
• प्रकार/प्रकृति - संवैधानिक निकाय
• भारतीय संविधान का भाग **XV** चुनावों से संबंधित है**,** और इस आयोग की स्थापना करता है

जिम्मेदारियों
• भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का प्रशासन
• लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है

संबद्ध व्यक्तित्व
• प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त – सुकुमार सेन (1950-58)
• पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त - वी.एस. रमादेवी (1990)
• वर्तमान अवलंबी - राजीव कुमार

संबंधित अनुच्छेद (324-329)
• अनुच्छेद 324 : चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा।
• आयोग की संरचना [अनुच्छेद-324(2)]
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त।
• इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित होता है।
• अनुच्छेद 325 - धर्म, जाति, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होगा।

• **अनुच्छेद 326** - लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
• **अनुच्छेद 327** - विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति
• **अनुच्छेद 328** - किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।
• **अनुच्छेद 329** - चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक:
- निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता।
- संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव को चुनाव याचिका द्वारा प्रश्नगत किया जा सकता है।

इस्तीफा और हटाने की प्रक्रिया [अनुच्छेद 324(5)]
• भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए
• सीईसी को उसी तरह और उसी आधार पर हटाया जाना जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को संसद द्वारा हटाया जाता है। (विशेष बहुमत)
• सीईसी की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य चुनाव आयुक्त।

मुख्य चुनाव आयुक्त

1.	Sukumar Sen	1950–1958
2.	K.V.K. Sundaram	1958 –1967
3.	S.P. Sen Verma	1967-1972
4.	Dr. Nagendra Singh	1972-1973
5.	T. Swaminathan	1973-1977
6.	S.L. Shakdhar	1977-1982
7.	R.K. Trivedi	1982-1985
8.	R.V.S. Peri Sastri	1986-1990

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

9.	Smt. V.S. Ramadevi	1990
10.	T.N. Seshan	1990-1996
11.	Dr. M.S. Gill	1996-2001
12.	J.M. Lyngdoh	2001-2004
13.	T.S. Murthy	2004-2005
14.	Mr. B.B. Tandon	2005-2006
15.	Mr. N. Gopalaswami	2006-2009
16.	Navin B. Chawla	2009-2010
17.	Dr. S.Y. Quraishi	2010-2012
18.	V.S. Sampath	2012-2015
19.	H.S. Brahma	2015
20.	Dr. Nasim Zaidi	2015-2017
21.	Sh. A. K. Joti	2017-2018
22.	O.P. Rawat	2018
23.	Sunil Arora	2018-2021

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

राज्य चुनाव आयोग

प्रकृति - संवैधानिक निकाय
स्थापना - 15 फरवरी, 1994
मुख्यालय – निर्वाचन सदन, अरेरा हिल्स (भोपाल)।

राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 1994 को सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। यह 15 फरवरी, 1994 को अस्तित्व में आया
पहले एम.पी. राज्य चुनाव आयुक्त - **एन.बी. लोहानी (1994-2000)।**
वर्तमान पदाधिकारी – बसंत प्रताप सिंह (1 जनवरी, 2019 से)।

- राज्य चुनाव आयुक्त - राज्यपाल द्वारा नियुक्त ।
- निष्कासन - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही।
- समारोह: राज्य में स्थानीय निकायों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव कराना।
    - **अनुच्छेद 243 K (1) :** अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
    - पंचायतों के सभी चुनाव
    - (अनुच्छेद 243 (ZA) के तहत नगर पालिका चुनाव)

1. संघ लोक सेवा आयोग

प्राधिकरण - संवैधानिक निकाय
मुख्यालय- नई दिल्ली
भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास

- वारेन हेस्टिंग्स ने प्रणाली की शुरुआत की लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
- कार्नवालिस को ICS का जनक कहा जाता है। उन्होंने सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया।
- 1800 में वेलेस्ली ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। बाद में उन्हें **लंदन के हैलेबरी कॉलेज** में प्रशिक्षण दिया जाना था।

RAO'S ACADEMY

1854 में, 'द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज' (लॉर्ड मैकाले) का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश के बाद 16 जुलाई 1855 को लंदन में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा की परीक्षा आयोजित की गई।

1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय आईसीएस बने।

1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी
ली आयोग का गठन किया गया।

S ACADEMY
mpetitive Exams
(A unit of RACE)

1 अक्टूबर **1926** को ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर **CPSC (**केंद्रीय लोक सेवा आयोग) की स्थापना की गई थी।
प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बार्कर (4 सदस्य) थे

भारत सरकार **1935, CPSC 1937** में **FPSC (**संघीय लोक सेवा आयोग) बन गया
26 जनवरी **1950** को **FPSC** को **UPSC (**संघ लोक सेवा आयोग) के रूप में जाना जाने लगा।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

Structure

•**Article 312** - creation of All-India services if the Council of State (Rajya Sabha) has declared by resolution supported by not less than 2/3rd of members present and voting, (National Interest) to create one or more such All India Services.

Article 312 (2)

2 **Type of All India Services** i.e. –

1)Indian Administrative Services – IAS ii) Indian Police Services – IPS

The Indian Forest Service (IFoS), the third All-India Service, was created in 1963 under the All-India Services Act, 1951, which came into force in 1966

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रण। लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार में निहित है, जबकि तत्काल नियंत्रण राज्य सरकार में निहित है।

अभी हैं - 25 कैडर

23- राज्य संवर्ग
2-संयुक्त संवर्ग
मेघालय - असम।
(अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश)

"स्टैंडर्ड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स" *"Standard High Order Thinking Skills"*

सिविल सेवा दिवस – 21 अप्रैल
सरदार पटेल को 'अखिल भारतीय सेवाओं का जनक' माना जाता है।
उन्होंने सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम' कहा।

संघ लोक सेवा आयोग

संवैधानिक प्रावधान-
भारत के संविधान के भाग-XIV के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 (अध्याय-II)

यह भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवाओं की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

अनुच्छेद 315 :
(1) संविधान / गठन - संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) होगा।
(2) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्य के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हो वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद् उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ती

करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की (जिसे "संयुक्त आयोग" कहा जाताहै) की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी।

(3) **यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य के सभी या किन्ही आवश्यकताओं की पूर्ती करने के लिए सहमत हो सकेगा।**

- **अनुच्छेद 316 - अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यालय की अवधि**
- यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी
- **अध्यक्ष डॉ मनोज सोनी**
- यूपीएससी में 9 से 11 सदस्य होते हैं

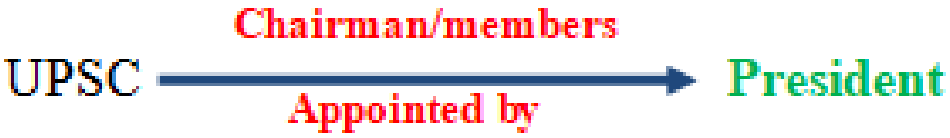

अनुच्छेद-317 (1) यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके पद से हटाया जा सकता है।
अनुच्छेद-**317(3)-** राष्ट्रपति आदेश द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है यदि वह-

- दिवालिया घोषित किया गया है
- अपने कार्यालय की अवधि के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी सवेतन रोजगार में संलग्न होता है;
- या मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

अनुच्छेद-318 - यूपीएससी के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अनुसार विनियम बनाने की शक्ति - राष्ट्रपति कर सकते हैं -

- नियम और शर्तें और
- उनकी सेवा की शर्तों का प्रावधान करें।

अनुच्छेद 319 - आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर रोक।

- अध्यक्ष के लिए आगे रोजगार के लिए अपात्र।
- **यूपीएससी के सदस्य या एसपीएससी के** अध्यक्ष**/सदस्य- योग्य**

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राष्ट्रपति के आदेश से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 118(3) के तहत इंदौर में 1/नवंबर/1956 को स्थापित।

भारत के संविधान के भाग-XIV के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 (अध्याय-II) तक।
राज्य भर्ती एजेंसी जो राज्य सेवाओं की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

संबंधित अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 315 : संविधान / गठन - मध्य प्रदेश यानी एमपीपीएससी के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।**
- **अनुच्छेद 316 - अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति और कार्यकाल: MPPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।**
- **अनुच्छेद-317 (1) पीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके पद से हटाया जा सकता है।**
- अनुच्छेद-317(3)- राष्ट्रपति आदेश द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है यदि वह-
  दिवालिया घोषित किया गया है
  अपने कार्यालय की अवधि के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी सवेतन रोजगार में संलग्न होता है;
  या मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष - (प्रो.) भास्कर चौबे।

If Seat Vacant

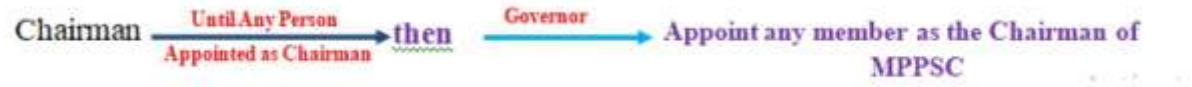

यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो, जब तक रिक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का कतर्व्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य,राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा

अनुच्छेद-318 - एमपीपीएससी के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अनुसार विनियम बनाने की शक्ति

- **मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो सकते हैं –**
    - **एमपीपीएससी के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण; तथा**
    - **एमपीपीएससी के कर्मचारियों के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करना।**
- **अनुच्छेद 320 - एमपीपीएससी के कार्य - मध्य प्रदेश की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना।**

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-कैग

संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित स्वतंत्र प्राधिकरण (अनुच्छेद-148 से 151 तक भाग-V का अध्याय-V)।
वह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं।

वह भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करता है, इसलिए 'सार्वजनिक धन के संरक्षक' के रूप में जाना जाता हैउनका मुख्य कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है।

इतिहास

1857-58 में महालेखाकार का पद सृजित किया गया।
लॉर्ड कैनिंग ने सर एडवर्ड ड्रमंड को प्रथम महालेखापरीक्षक नियुक्त किया।
1866 में, नाम बदलकर महालेखा नियंत्रक कर दिया गया और 1884 में, इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक संघीय व्यवस्था में प्रांतीय महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करके महालेखा परीक्षक की स्थिति को और मजबूत किया।
1947 में भारत की स्वतंत्रता तक यह व्यवस्था अपरिवर्तित रही। CAG का अधिकार क्षेत्र 1958 में जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दिया गया था।
1971 में, केंद्र सरकार ने सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 को अधिनियमित किया।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद **148** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक **(CAG)** - नियुक्ति और निष्कासन: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उसी आधार पर पद से हटाया जाएगा।

अनुच्छेद - **149** कर्तव्य और शक्तियाँ: संसद ने **CAG's (**कर्तव्य**,** शक्तियाँ और सेवा की शर्तें**)** अधिनियम**, 1971** को अधिनियमित किया।
वह प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करता है

- **भारत की संचित निधि**
- आकस्मिकता निधि
- भारत का लोक लेखा**,**
- वह सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों का ऑडिट करता है
- केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का ऑडिट भी करता है

सीएजी का लोगो बीटेक छात्र शिवम दुआ (2010) द्वारा डिजाइन किया गया है।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

वर्तमान सीएजी - श्री गिरीश चंद्र मुर्मू

3. नीति आयोग (NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA)

मुख्यालय- नई दिल्ली
मूल एजेंसी: योजना मंत्रालय
पूर्ववर्ती: योजना आयोग
प्रकृति- कार्यकारी निकाय

गठित: 1 जनवरी 2015 प्रतिस्थापित: योजना आयोग
उद्देश्य: भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी और भागीदारी को बढ़ावा देना।

श्री परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
श्री सुमन बेरी वर्तमान में में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जिन्हे कैबिनेट मंत्री का दर्ज़ा प्राप्त है।

पार्श्वभूमि

योजना आयोग ने नियंत्रण और कमांड दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ करीब छह दशकों तक योजना वाहन के रूप में कार्य किया।
तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी माहौल का प्रभाव।
योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण के साथ एक नई संस्था - नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

उद्देश्यों

- मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से मजबूत बनाना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करना।
- आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- हमारे समाज के कमज़ोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना

नीति आयोग के 7 स्तंभ

प्रभावी शासन के 7 **स्तंभ** –

(1) जनवादिता

(2) सक्रियतावाद (प्रो-एक्टिविटी)

(3) भागीदारी

(4) सशक्तिकरण

(5) सभी का समावेश

(6) समानता

(7) पारदर्शिता।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

4.राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग

मुख्यालय- नई दिल्ली
गठित: 12 अक्टूबर 1993

एनएचआरसी के लिए लोगो एक सार चिह्न लोगो है जिसमें ग्राफिक के ठीक नीचे देवनागरी लिपि में लिखित एक ग्राफिक और एक संस्कृत कहावत है। कहावत है "सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका अर्थ है "सब सुखी रहें"।

National Human Rights Commission (NHRC)

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मुंबई के बंसीलाल केतकी द्वारा डिजाइन किया गया।

सामान्य जानकारी

मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रचार अधिनियम द्वारा, मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है- "संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू करने योग्य अधिकार "।

28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार अध्यादेश का संरक्षण

NHRC की स्थापना पेरिस के सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी, जिसे पेरिस में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था (अक्टूबर, 1991) और 20 दिसंबर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस - 10 दिसंबर।

प्रथम अध्यक्ष – न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र।

पहली महिला सदस्य - न्यायमूर्ति फातिमा बीबी।

के वर्तमान अध्यक्ष - न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा

एनएचआरसी का गठन

- धारा **3(1) -** केंद्र सरकार एनएचआरसी नामक एक निकाय का गठन करेगा।

- धारा **3(2) -** आयोग में शामिल हैं -
  एक अध्यक्ष**,** जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है
  एक सदस्य**,** जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है।
  तीन सदस्य **(**एक महिला**),** जिन्हे मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव।

- धारा **3(3) -** पदेन सदस्य - अध्यक्ष - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
  राष्ट्रीय महिला आयोग।
  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग।
  बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग।
  विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त

- धारा **3(4) -** महासचिव = मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
- धारा **3(5) -** मुख्यालय = दिल्ली और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से आयोग भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित करने में सक्षम है।
- धारा **4(1)** अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा:

पीएम - अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष - सदस्य
गृह मंत्री - सदस्य
लोकसभा में विपक्ष के नेता - सदस्य
राज्य सभा में विपक्ष के नेता - सदस्य
राज्यसभा के उप सभापति - सदस्य

नोट – यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो यह केवल CJI के परामर्श से किया जाता है।

- धारा **4(2)** - समिति में किसी सदस्य के रिक्त होने मात्र से अध्यक्ष या सदस्य की कोई नियुक्ति अवैध नहीं होगी।

अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा और हटाना
धारा **5(1)** - राष्ट्रपति को इस्तीफा।
धारा **5(2)** - कदाचार के आधार पर हटाए जाते**,** लेकिन कदाचार की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।
धारा **5(3)** - राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर भी अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं:
- यदि दिवालिया घोषित किया जाता है।
- यदि अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्य के बाहर किसी भी भुगतान रोजगार में संलग्न हैं।
- मानसिक या शारीरिक बीमारी के कारण पद पर बने रहने के लिए अपात्र है।
- विकृत दिमाग है और सक्षम अदालत ने इसे घोषित कर दिया है।
- यदि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास से दंडित किया जाता है, और राष्ट्रपति की राय में जो एक नैतिक पतन है।

अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल

धारा 6 - 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
अध्यक्ष या कोई सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही वह पद पर न हो।

NHRC के कार्य और शक्तियाँ

- ✓ मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें।
- ✓ मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से जुड़ी किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की शक्ति।
- ✓ यह किसी भी जेल या किसी अन्य संस्थान में जा सकता है।
- ✓ मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और इसे बढ़ावा देता है।
- ✓ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता फैलाने का काम करता है
- ✓ इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं और यह अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है।
- ✓ मुआवजे या नुकसान के लिए सिफारिश करें।
- ✓ यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है।
- ✓ यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- NHRC के पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं।
- एनएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है।

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

अगस्त 2019 में, धारा 3(3) में किए गए संशोधन में कहा गया है कि "डीम्ड सदस्यता" को अन्य आयोगों के मौजूदा अध्यक्षों के अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांग आयोग के अध्यक्षों तक बढ़ाया जाएगा।

- संशोधन भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एनएचआरसी अध्यक्ष पद के लिए पात्र बनाता है।

- इसी तरह, एसएचआरसी की संरचना भी बदल सकती है। संशोधन उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान के विपरीत संबंधित उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एसएचआरसी अध्यक्ष के पद के लिए पात्र बनाता है।

- NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच से घटाकर तीन साल कर दिया गया है। हालाँकि, संशोधन सरकार को उन्हें क्रमशः एक और अवधि के लिए फिर से नियुक्त करने की अनुमति देता है। यही बात राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों पर भी लागू होगी।

राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1933 की धारा-21 के अनुसार राज्य सरकार एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी।
इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
एक अध्यक्ष जो एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुका है।
एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है,
या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, और जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखता है।

- एक सदस्य जिसे मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वालों में से नियुक्त किया जाएगा।
- एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और राज्य आयोग अध्यक्ष के निर्देशों के तहत सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- सातवीं अनुसूची और समवर्ती सूची की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित मानवाधिकारों का उल्लंघन, लेकिन अगर ऐसे किसी विषय की पहले से ही किसी अन्य आयोग द्वारा जांच की जा रही है, तो इस मामले को नहीं देखेगा
- दो या अधिक राज्य सरकारें अन्य राज्य आयोग के ऐसे अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कर सकती हैं
- केंद्र सरकार दिल्ली के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अधिनियम को आदेश द्वारा किसी भी राज्य आयोग को सौंप सकेगी।
- केंद्र सरकार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मानवाधिकार संबंधी मामलों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंप सकेगी ।

नियुक्ति (धारा-22) - राज्यपाल द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित पत्र द्वारा नियुक्त, एक समिति की अनुशंसा जिसमें निम्नलिखित हों:

- मुख्यमंत्री - अध्यक्ष
- विधानसभा अध्यक्ष - सदस्य
- राज्य के गृह मंत्री - सदस्य
- विधान सभा में विपक्ष के नेता - सदस्य
- जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता भी सदस्य होंगे।

त्यागपत्र एवं निष्कासन (धारा-23) - राज्य आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे।

- कदाचार, जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी।

कार्यकाल (धारा-**24)** - उनके कार्यालय ग्रहण करने की तिथि से **3** वर्ष या **70** वर्ष की आयु तक**,** जो भी पहले हो।

- अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी और रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा।

मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग (एमपीएचआरसी)

स्थापना - 13 सितंबर 1995 मुख्यालय -पर्यावास भवन, भोपाल।
आदर्श वाक्य - "हम सब समान हैं, समान हमारे अधिकार हैं"

अध्यक्ष - न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन
सदस्य - सरबजीत सिंह
सदस्य - मनोहर ममतानी

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

5. राष्ट्रीय महिला आयोग

स्थापना - 31 जनवरी, 1992
ग्राउंड - राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
प्रकृति - विधिक निकाय
नोडल मंत्रालय - महिला एवं बाल कल्याण
मंत्रालय मुख्यालय - नई दिल्ली।
प्रथम अध्यक्ष – जयंती पटनायक
वर्तमान अध्यक्ष – रेखा शर्मा

Sr. No.	Chairperson	Tenure
1)	Jayanti Patnaik	1992-1995
2)	V. Mohini Giri	1995-1998
3)	Vibha Parthasarathy	1999-2002
4)	Poornima Advani	2002-2005
5)	Girija Vyas	2005-2008
6)	Girija Vyas	2008-2011
7)	Mamta Sharma	2011-2014
8)	Lalitha Kumaramangalam	2014-2017
9)	Rekha Sharma	2018-Present

भारत में महिलाओं के लिए कानूनी और संवैधानिक संशोधन करके महिलाओं के लिए एक समान और न्यायपूर्ण आजीविका स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों और वर्गों में मानवाधिकारों का एक मौलिक उल्लंघन है, और मौलिक अधिकार के इस उल्लंघन को रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी।
इस निकाय की स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए की गई थी।
यह उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करती है, शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करती है और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देती है।
यह एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियों का आनंद लेता है।
पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया था।
आलोक रावत IAS राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के पहले पुरुष सदस्य हैं।

□ संरचना

आयोग में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और अन्य पांच सदस्य शामिल हों।

- **अध्यक्ष :** केंद्र सरकार को अध्यक्ष नामित करना चाहिए।

➢ **पांच सदस्य:** पांच सदस्यों को भी केंद्र सरकार द्वारा योग्यता, ईमानदारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति में से नामित किया जाता है। उन्हें कानून, ट्रेड यूनियन, महिलाओं की उद्योग क्षमता के प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन, शिक्षा, प्रशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का कम से कम एक सदस्य होगा।

सदस्य सचिव : केंद्र सरकार सदस्य सचिव को मनोनीत करती है। वह या तो प्रबंधन, एक संगठन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए या एक सदस्य को ही मनोनीत करती है ।

 कार्यकाल और सेवा की शर्तें

अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।
अध्यक्ष या कोई भी सदस्य (सदस्य सचिव के अलावा जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है) किसी भी समय अध्यक्ष या सदस्य के पद से इस्तीफा दे सकता है। मामला केंद्र सरकार को संबोधित एक पत्र द्वारा हो सकता है।
केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटाएगी जो -
 दिवालिया करार दिया गया है।
 एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास से दंडित किया गया है, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन है।
 विकृत दिमाग का है और ऐसा एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। जो कार्य करने से मना करता है या कार्य करने में असमर्थ है।
 आयोग की अनुमति के बिना, आयोग के लगातार तीन सम्मेलनों से अनुपस्थित रहता है,

 यदि किसी ने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जो जनहित के लिए हानिकारक है।
लेकिन इस खंड के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।
अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य प्रतिबंध और शर्तें वही होंगी जो निर्धारित किये गए हैं ।

 राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य (धारा-10)

➢ **पूछताछ और जांच -** राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं।

यह भारत के संविधान के तहत स्त्री समाज के लिए सुनिश्चित किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करती है। **आयोग** कानूनों के गैर-कार्यान्वयन और गैर-प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों की शिकायतों का, नीतिगत निर्णयों का गैर-अनुपालन, कल्याण सुनिश्चित करने दिशानिर्देश का गैर-अनुपालन, और अधिकारियों द्वारा महिला संबंधित मामले से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संज्ञान लेती है ।

एक्शन रिसर्च - NCW के सदस्य महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सभी क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के उपाय प्रस्तावित करते हैं, और उनकी उन्नति की समीक्षा करते हैं। यह संविधान में महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की भी जांच करता है और अन्य कानून उनके कामकाज का अध्ययन करते हैं, किसी भी अपर्याप्तता या कमियों को पूरा करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करते हैं और प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की वकालत करते हैं।
कानूनी हस्तक्षेप - पारिवारिक महिला लोक अदालत पारंपरिक न्याय पंचायतों में अपनी जड़ों के साथ एक अभिनव घटक है। यह **NCW** द्वारा मामलों के निवारण और त्वरित निपटान के लिए बनाया गया है।

आयोग निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य करेगा:

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

1. जांच: संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच।

2. रिपोर्ट की प्रस्तुति: केंद्र सरकार को हर साल और ऐसे अन्य समय पर रिपोर्ट पेश करना, जैसा कि आयोग उचित समझे और उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट पेश करना

3. अनुशंसाएँ: संघ या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन सुरक्षा उपायों की प्रभावी उपलब्धि के लिए ऐसी रिपोर्ट और अनुशंसाएँ तैयार करना।

4. **समीक्षा:** समय-समय पर संविधान और अन्य कानून के मौजूदा प्रावधान जो महिलाओं को परेशान करने वाले, परिवर्तन और उपचारात्मक विधायी उपाय सुझाते हैं, ऐसे कानून में किसी भी तरह की रुकावट, अपर्याप्तता और अक्षमता को पूरा करते हैं।

5. उल्लंघन के मामले: महिलाओं से संबंधित संविधान और अन्य कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएं

6. स्वत: संज्ञान: यह शिकायतों पर गौर करता है, और महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने, कानूनों को लागू न करने, और महिला समाज के कल्याण की गारंटी देने वाले नीतिगत निर्णयों का पालन न करने से संबंधित मामलों का स्वत: संज्ञान लेता है।

7. **विशेष अध्ययन और जांच:** यह महिलाओं के खिलाफ अलगाव और आक्रोश से उभरने संबंधित मुद्दों या परिस्थितियों पर विशेष अध्ययन या जांच करता है और उनके निष्कासन के तरीकों का सुझाव देता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत और परामर्श इकाई - यह सेल आयोग की कोर इकाई है। सदस्यों का चयन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है और देश के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य की प्रकृति आयोग का राजनीतिकरण करती है।

अधिनियम की धारा-10 के तहत आयोग के अधिकार क्षेत्र में घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, परित्याग, द्विविवाह, बलात्कार, प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार, पति द्वारा क्रूरता, वंचना, लैंगिक भेदभाव और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में नहीं है ।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 की धारा-3 के तहत मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998 को की गई थी

आयोग सात सदस्यीय निकाय है - अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। छह सदस्य गैर-सरकारी पृष्ठभूमि के और एक सदस्य सरकारी पृष्ठभूमि का।

आयोग का एक सदस्य एक प्रसिद्ध अधिवक्ता, दो सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक-एक विशेषज्ञ और एक सरकारी अधिकारी है। बशर्ते कि छह सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

अध्यक्ष - महिलाओं के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध प्रतिष्ठित महिला/ सामाजिक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया जाता है।

आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं।

मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यालय भोपाल में है।

कार्यकाल और सेवा की अवधि

अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

अध्यक्ष या कोई भी सदस्य (सदस्य सचिव के अलावा जो राज्य की सिविल सेवा या संघ सिविल सेवा का सदस्य है) राज्य सरकार को संबोधित एक पत्र देकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है।

राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से समाप्त कर देगी, जो:

- ❒ दिवालिया करार दिया गया है।
- ❒ एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और कारावास से दंडित किया गया, जो राज्य सरकार की राय में एक नैतिक पतन है।
- ❒ विकृत दिमाग का है और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। काम करने से मना कर देता है या काम करने में असमर्थ हो जाता है।
- ❒ आयोग की अनुमति के बिना आयोग के लगातार तीन सम्मेलनों से अनुपस्थित रहता है।
- ❒ राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस तरह दुरूपयोग किया है कि यह जनहित के लिए हानिकारक है।

  लेकिन इन धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य प्रतिबंध और शर्तें वही होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं।

RAO'S ACADEMY For Competitive Exams (A unit of RACE)

7.राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

 स्थापना - 5 मार्च, 2007, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 धारा 3 के तहत
प्रकृति - वैधानिक निकाय
मुख्यालय – नई दिल्ली।
नोडल मंत्रालय - केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रथम अध्यक्ष - शांता सिन्हा।
वर्तमान अवलंबी - श्री प्रियंक कानूनगो ।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और अनुल्लंघनीयता के सिद्धांत पर जोर देता है और देश की सभी बाल संबंधित नीतियों में तात्कालिकता के स्वर को पहचानता है।
आयोग के लिए 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है।
यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

नोट: आयोग के अनुसार "बच्चे को 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है"।

 संरचना (धारा-3)
 आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
 अध्यक्ष - प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण काम किया है।
 निम्नलिखित क्षेत्रों से 6 सदस्य (जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे:
शिक्षा
 बाल स्वास्थ्य, कल्याण और बाल विकास
 किशोर न्याय, उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल, विकलांग।
 बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन
 बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान और बच्चों से संबंधित कानून।

 नियुक्ति
केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी। लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

 सेवा की शर्तें
अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष (अध्यक्ष)/60 वर्ष (सदस्य) की आयु, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेंगे। कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।
अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपना इस्तीफा देकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

 हटाना
सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर केंद्र सरकार उन्हें आदेश द्वारा पद से हटा सकेगी।
केंद्र सरकार निम्नलिखित आधारों पर भी किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है:
 यदि दिवालिया घोषित किया जाता है।

 कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी वेतनभोगी रोजगार में व्यस्त रहें। कार्य करने से मना कर देता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।
 विकृत दिमाग है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है।
 अपने पद का दुरूपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक हो जाता है।
 एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और कारावास से दंडित किया गया जो केंद्र सरकार की राय में एक नैतिक पतन है।
 लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के लिए आयोग से अनुमति लिए बिना अनुपस्थित रहता है।

इन धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया हो।

आयोग के कार्य
आयोग को निम्नलिखित में से सभी या किसी एक कार्य को करने का अधिदेश दिया गया है:

 उस समय प्रचलित किसी भी कानून के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण उपायों की जांच और समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना।

आयोगों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर हर साल या ऐसे अन्य अंतराल पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जो आयोग द्वारा उचित पाया जा सकता है।

 बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और कार्यवाही की सिफारिश करना।

 सभी कारकों (आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, अत्याचार शोषण, अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति) की जांच करना जो बाल अधिकारों के विकास को रोकते हैं और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं।

 शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से बाल अधिकारों के हनन और उल्लंघन से संबंधित मामलों को देखना

 बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए बनाए गए कानूनों का गैर कार्यान्वयन ।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग

 उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने और इससे प्रभावित बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए नीतिगत निर्णयों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का पालन न करने के मुद्दों को उठाने, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अध्याय 4 के खंड 17 के अनुसार उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग का गठन कर सकती है।

राज्य आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

 अध्यक्ष - एक व्यक्ति जिसने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।

 राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, जिनमें से कम से कम 2 महिलाएं होंगी और इनमें से प्रत्येक के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, क्षमता, सच्ची अखंडता, प्रतिष्ठा और अनुभव हो -

शिक्षा
बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण और बाल विकास
किशोर न्याय या विकलांग उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल।
बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन
बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान, बच्चों से संबंधित कानून।

 सेवा की अवधि

अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिस पर वे 65 वर्ष (अध्यक्ष) और 60 वर्ष की आयु (सदस्य) की आयु तक, जो भी पहले हो। लेकिन कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो **कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।**

अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

राज्य सरकार विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के तहत राज्य आयोग को अनुदान प्रदान करेगी और राज्य आयोग अनुदान को अपने कार्यों में खर्च करेगा।

आयोग द्वारा खर्च किए गए धन की जांच भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना सितंबर **2008** में हुई थी।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

8.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यह अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करना चाहता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है।

❒ **एनसीएससी - इतिहास**

प्रारंभ में, संविधान ने अनुच्छेद 338 (भाग XVI) के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रदान किया। इस विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। पहली बार इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 18 नवंबर 1950 को नियुक्त किया गया था।
1978 में, सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बहु-सदस्यीय आयोग बनाने का निर्णय लिया। इस तरह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहला आयोग अगस्त 1978 में भोला पासवान शास्त्री (अध्यक्ष) और अन्य चार सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था। सरकार को व्यापक नीतिगत मुद्दों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के स्तरों पर सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। ।
1987 में आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया।
12 मार्च 1992 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला।
89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा इस आयोग को निम्नलिखित के साथ द्विभाजित किया गया, जो 19 फरवरी 2004 को लागू हुआ।

❒ अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग।

❒ अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। मुख्यालय – नई दिल्ली।

नोडल मंत्रालय - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

 आयोग का गठन, संरचना और नियुक्ति

अनुच्छेद 338 (1): अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाएगा।

अनुच्छेद 338 (2): आयोग में शामिल होंगे -

- एक अध्यक्ष
- एक उपाध्यक्ष
- तीन अन्य सदस्य

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अनुच्छेद 338(3)

आयोग के कार्य - अनुच्छेद 338(5)

(a) संविधान के तहत एससी के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना।

(b) अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित शिकायतों की जांच करना।

(c) अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों में भाग लेना और सलाह देना।

(d) इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर देश के राष्ट्रपति को नियमित रिपोर्ट करना।

आयोग की शक्तियाँ - अनुच्छेद 338(8)

किसी मामले की जांच करते समय, आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होंगी जो इस प्रकार हैं:

1) भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को बुलाना और शपथ पर उसका बयान लेना।

2) एक दस्तावेज का खुलासा और पेश करने के लिए।

3) हलफनामों पर साक्ष्य लेना।

4) अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति मांगने के लिए।

5) सबूतों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करना।

6) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति को निर्धारित करना चाहिए।

अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल - 3 वर्ष। (अधिकतम दो कार्यकाल)

NCSC के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, बाकी सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष हैं।
नोट: एनसीएससी का अध्यक्ष अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य होना चाहिए और प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी।

अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान

संवैधानिक	वैधानिक
अनुच्छेद **15** शैक्षिक आरक्षण	नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम**, 1955**
अनुच्छेद **16** – लोक रोजगार में आरक्षण	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989**
अनुच्छेद **17 - अस्पृश्यता का अंत**	अनुसूचित क्षेत्र का पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम**, 1996**
अनुच्छेद **330** – लोकसभा में आरक्षण	
अनुच्छेद **332** – विधान सभा में आरक्षण	

❒ आयोग के कर्तव्य और कार्य:

अनुच्छेद 338 के तहत भारत के संविधान ने आयोग को निम्नलिखित कर्तव्य और कार्य सौंपे हैं।

(a) संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी भी आदेश के तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करना;

(b) अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के अभाव के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(c) अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और संघ और किसी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(d) राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर पेश करने के लिए, जैसा कि आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट;

(e) ऐसी रिपोर्टों में, उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना जो उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए और अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपाय और

(f) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जिन्हें राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन, नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

❒ आयोग की शक्तियाँ:

किसी भी शिकायत की जांच करते समय, आयोग के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होती हैं , विशेष रूप से निम्नलिखित:

(a) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन और उपस्थित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
(b) किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना;
(c) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(d) किसी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना;
(e) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन/पत्र जारी करना;
(f) कोई अन्य मामला जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे।

नोट: मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग 1995 में शामिल किया गया।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

9.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद-338 में संशोधन करके और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम-2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद-338(ए) जोड़कर की गई है।

इस संशोधन द्वारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को 19 फरवरी, 2004 को दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात् -

1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, (NCSC) और

2)अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST)

इतिहास

1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "पिछड़ी जनजाति" कहा जाता है, जो भौगोलिक रूप से अलग-थलग और आंशिक रूप से अलग क्षेत्रों में रहती हैं।
भारत सरकार अधिनियम-1935 ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में 'पिछड़ी जनजातियों' के प्रतिनिधियों के लिए आह्वान किया।
संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के लिए मानदंड को परिभाषित नहीं करता है और इसलिए 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में उपयोग किया गया था।
हालांकि, संविधान की धारा-366(25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है।

प्रमुख समितियां/आयोग।

1) लोकुर समिति (1965)

यह अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए मानदंड देखने के लिए स्थापित किया गया था।
समिति ने उनकी पहचान के लिए 5 आवश्यक विशेषताओं की सिफारिश की –

1) आदिम लक्षण।
2) भौगोलिक अलगाव।
3) विशिष्ट संस्कृति
4) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच।
5) पिछड़ापन।

2) भूरिया आयोग (2002-04)

इसने 5वीं अनुसूची से लेकर आदिवासी भूमि और वन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पंचायतों के कामकाज और आदिवासी महिलाओं की स्थिति तक कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

3) वर्जिनियस खाक्सा (2013)

यह आदिवासी समुदायों से संबंधित 5 महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन करने के लिए 2013 में गठित एक उच्च स्तरीय समिति थी –

1) आजीविका और रोजगार,

2) शिक्षा

3) स्वास्थ्य

4) अनैच्छिक विस्थापन और पलायन

5) कानूनी और संवैधानिक मामले

❒ एनसीएसटी के बारे में मूल बातें

एनसीएसटी की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी।
उद्देश्य - संविधान या किसी अन्य कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
मुख्यालय – नई दिल्ली
नोडल मंत्रालय - जनजातीय मामलों का मंत्रालय

□ रचना

आयोग शामिल है
□ एक अध्यक्ष
□ एक उपाध्यक्ष
□ तीन पूर्णकालिक सदस्य,
(कम से कम एक महिला सदस्य सहित)।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल - 3 वर्ष। (अधिकतम दो कार्यकाल)
प्रथम अध्यक्ष - कुंवर सिंह टेकाम
प्रथम और एकमात्र महिला अध्यक्ष - उर्मिला सिंह

□ कर्तव्य और कार्य

संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी भी आदेश के तहत एसटी के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना।
अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर प्रस्तुत करने के लिए जैसा कि आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट।
अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

❒ **अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय**

I. शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा

अनुच्छेद-15(4): राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद-17 : अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय है - नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम**, 1955** और इसके तहत नियम। अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की रोकथाम -
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989** और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम **1995**।
अनुच्छेद-29 (1) : विशिष्ट भाषाओं**,** लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार- "भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा**,** लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा।" वही"। इस अनुच्छेद का सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है**,** जैसे**;** संथालों की अपनी एक लिपि है जिसे ओलचिकी के नाम से जाना जाता है।
अनुच्छेद-46: राज्य विशेष सावधानी के साथ लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी रूपों से उनकी रक्षा करेगा। शोषण का।
अनुच्छेद-350 (ए) : मातृभाषा में निर्देश - "प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि वह राज्य के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे। भाषाई अल्पसंख्यक समूह**,** और राष्ट्रपति किसी भी राज्य को इस तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं क्योंकि वह ऐसी सुविधाओं के प्रावधान को हासिल करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है"।
सामाजिक सुरक्षा और क़ानून और विधान।

II. सामाजिक सुरक्षा

अनुच्छेद-23 मानव के व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम का निषेध। [भूतपूर्व। - बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम**, 1976]**
अनुच्छेद-24 : बाल श्रम पर रोक - **14** वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खानों में लगाने या किसी खतरनाक रोजगार में लगाने पर रोक लगाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य कानून बनाए गए हैं।

III. आर्थिक सुरक्षा

अनुच्छेद-46: राज्य विशेष सावधानी के साथ लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी रूपों से उनकी रक्षा करेगा। शोषण का।

अनुच्छेद-244(1): संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं और इनमें स्थापित जनजाति सलाहकार परिषदें राज्यों को इन राज्यों के राज्यपालों को सलाह देनी होती है जिनके पास किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति होती है।

अनुच्छेद 244(2): छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों पर लागू होते हैं। इन जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनमें स्व-प्रबंधन प्रणालियों की एक लंबी परंपरा है।

अनुच्छेद 275(1): संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों के अंतर्गत आने वाले राज्यों (अनुसूचित जनजाति वाले) को सहायता अनुदान। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम - राज्य सरकारों को अनुदान के लिए आदिवासी उप-योजना (एससीए से टीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - राज्य योजना के लिए एक अतिरिक्त के रूप में, उन क्षेत्रों के लिए जहां राज्य योजना के प्रावधान आम तौर पर आदिवासियों के लिए आर्थिक विकास लाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

IV. राजनीतिक सुरक्षा

अनुच्छेद-164 (1) : बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जनजातीय मामलों के मंत्रियों के लिए प्रावधान करता है।

अनुच्छेद-330 : लोकसभा में सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद-332 : राज्य विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद-334 : आरक्षण के लिए **10** वर्ष की अवधि (अवधि बढ़ाने के लिए कई बार संशोधन किया गया।)

अनुच्छेद-243 (D) : पंचायतों में सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद-243 (न) : नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद-371 : उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान।

V. सेवा सुरक्षा

अनुच्छेद 16 (4): नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करता है, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है "।

अनुच्छेद 16 (4ए): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों की श्रेणियों के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में आरक्षण प्रदान करता है, जो राज्य की राय में पर्याप्त रूप से नहीं हैं। राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व किया।

अनुच्छेद 16 (4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाए

अनुच्छेद 335 : संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा:

□ विभिन्न कानूनों के तहत सुरक्षा

1. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके तहत बनाए गए नियम 1995।**
2. **बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)।**
3. **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986**
4. पंचायतीराज (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996।
5. वन संरक्षण अधिनियम 1980।
6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948।
7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (6 जनवरी 2016 को प्रकाशित)।
8. अनुसूचित जनजातियों की भूमि से अलगाव **&** बहाली संबंधित राज्य अधिनियम **&** विनियम।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

➢ **अनुसूचित जनजातियों के बारे में** अतिरिक्त

संवैधानिक परिभाषा: भारत के संविधान का अनुच्छेद **366 (25)** अनुसूचित जनजातियों को संदर्भित करता है**,** वे समुदाय हैं जो अनुच्छेद **342** के अनुसार अनुसूचित हैं। यह लेख कहता है कि "केवल वे समुदाय जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है अनुसूचित जनजाति माना जाएगा"।
सामाजिक परिभाषा : जनजाति मानव समाज का वह वर्ग है जो वर्तमान आधुनिक विश्व में आदिम समय का चित्रण करता है और अपने आदिम लक्षणों**,** भौगोलिक अलगाव और पिछड़ेपन के कारण। वे 'आदिवासी' कहलाते थे।
ठक्कर बापा: अमृतलाल विठ्ठल दास ठक्कर (**1869-1951,** गुजरात)**,** जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है**,** जनजाति लोगों को संदर्भित करने के लिए 'आदिवासी' शब्द गढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने आदिवासी विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में बहुत कुछ किया। इसलिए**,** उन्हें 'आदिवासी विकास कार्यक्रम का जनक' भी माना जाता है।
डॉ. जी.एस. घुरिये (1893-1983, **महाराष्ट्र) :** उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' शब्द का प्रस्ताव रखा और इसे हमारे संविधान के अनुच्छेद-**342** के तहत स्वीकार किया गया।

➢ **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)**
जनजातीय समूहों के बीच पीवीटीजी अधिक असुरक्षित हैं। अधिक विकसित और मुखर जनजातीय समूह जनजातीय विकास निधियों का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण पीवीटीजी को उनके विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है।
1973 में, ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों के बीच कम विकसित हैं। 2006 में, भारत सरकार ने PTGs का नाम बदलकर PVTGs कर दिया।
इस संदर्भ में, 1975 में, भारत सरकार ने पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में सबसे कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान करने की पहल की और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की, जबकि 1993 में अतिरिक्त 23 समूहों को श्रेणी में जोड़ा गया, जिससे 705 अनुसूचित जनजातियों में से कुल पीवीटीजी हैं ।
PVTGs की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं - वे ज्यादातर समरूप हैं, एक छोटी आबादी के साथ, अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग-थलग, लिखित भाषा का अभाव, अपेक्षाकृत सरल तकनीक और परिवर्तन की धीमी दर आदि।

75 सूचीबद्ध पीवीटीजी में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।

मध्य प्रदेश में PVTGs
- 75 पीवीटीजी में से तीन मध्य प्रदेश में रहते हैं, जिनके नाम बैगा, भारिया, सहरिया हैं।

सांख्यिकी - अनुसूचित जनजाति प्रमुख	**भारत**	**मध्य प्रदेश**
जनसंख्या	104281034 (अधिकतम म.प्र.)	15316784
प्रतिशत	8.6% (अधिकतम मिजोरम –94.4%)	21.1%

जातीय की कुल संख्या समूह	705 (अधिकतम ओडिशा - 62)	46

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

म.प्र. में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वितरण – जनसंख्या के अनुसार (अधिकतम) : धार **(1222814)** जनसंख्या के लिहाज से (न्यूनतम) : भिंड **(6131)** प्रतिशत के लिहाज से (अधिकतम) : अलीराजपुर **(89%)** प्रतिशत के लिहाज से (न्यूनतम) : भिंड **(0.04%)**

- गोंड भारत की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, उसके बाद बैगा और भील हैं।
- अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और अनुपात के मामले में **12**वां स्थान है।
- भारत में, अनुसूचित जनजातियों को **36** संस्थाओं में से **31** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है। दिल्ली एनसीटी, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजाति की कोई आबादी नहीं है। मध्य प्रदेश में, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल में स्थित है।

  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। यह

  एशिया का पहला जनजातीय अनुसंधान विश्वविद्यालय है, **2008** में स्थापित।

एम.पी. अनुसूचित जनजाति आयोग - स्थापना - 29 जून, 1995

संरचना - एक अध्यक्ष **2** सदस्य
कार्यकाल – 3 वर्ष
इस्तीफा और निष्कासन - राज्य सरकार द्वारा।
वर्तमान अवलंबी – रामलाल राथेल

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

स्थापना - 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 द्वारा
संवैधानिक स्थिति - 102 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा। [अनुच्छेद - 338 (बी) के तहत]।
मुख्यालय – नई दिल्ली।
प्रथम अध्यक्ष – आर.एन. प्रसाद
वर्तमान अवलंबी - श्री हंसराज गंगाराम अहीर
नोडल मंत्रालय - सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय।

- पहली बार, 1950 और 1970 के दशक दो पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किए गए - काका कालेलकर और बी.पी. मंडल ।
- 1992 के इंद्रा साहनी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों को शामिल और बाहर करने के उद्देश्य से जांच और सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया था। इन निर्देशों के अनुसरण में एनसीबीसी का गठन किया।

इस आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और कठिनाइयों की जांच करने और इस प्रकार उचित सिफारिशें करने के लिए एक पहल के रूप में किया गया था।

❒ एनसीबीसी की कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं:

102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है।
पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

❒ एनसीबीसी की संरचना

आयोग में पांच सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

❒ संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ-साथ "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों" की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है।
102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नए अनुच्छेद 338 बी और 342 ए को सम्मिलित किया। संशोधन अनुच्छेद 366 में भी बदलाव लाता है।
अनुच्छेद 338बी एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकता है। हालाँकि, यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।

❒ **शक्तियां और कार्य**

आयोग ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए संविधान या किसी अन्य कानून के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेता है और सलाह देता है और संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है।

यह राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर प्रस्तुत करता है, जैसा कि आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट करता है। राष्ट्रपति ने ऐसी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी।

जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित है, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना है।

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, नियम द्वारा राष्ट्रपति निर्दिष्ट कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

इसका गठन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 13 मार्च 1993 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी और अन्य के मामले में दिए गए निर्देश के अनुपालन में किया गया था।

 आयोग का गठन

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाएगा, एक निकाय जिसे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

तीन अनौपचारिक सदस्य जिन्हें पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान है, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन कम से कम एक सदस्य पिछड़ा वर्ग से होगा। आयोग का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को अक्षमता एवं अन्य आधारों पर उसके पद से हटा सकती है।

प्रथम अध्यक्ष - वसंत राव उइके।

❒ **कार्य**

राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को जोड़ना या हटाना। योजनाओं की निगरानी।

क्रीमीलेयर की सीमा की सिफारिश।

सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर सलाह देना। पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

❒ **105वां संविधान संशोधन**

संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राज्य ओबीसी की "राज्य सूची" को बनाए रख सकते हैं जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले की व्यवस्था थी।

- "राज्य सूची" पूरी तरह से राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी और राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

❒ **आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान**

- भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 15 (4), 15 (5), और 16 (4) सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची घोषित करने और पहचानने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- एक परिपाटी के रूप में, केंद्र सरकार और प्रत्येक संबंधित राज्य द्वारा अलग-अलग ओबीसी सूची तैयार की जाती है।

❒ **102वां संविधान संशोधन:**

- संविधान में अनुच्छेद 338बी को जोड़कर संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की।
- संशोधन में अनुच्छेद 342ए भी जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की एक सूची अधिसूचित करेंगे। एक बार जब यह 'केंद्रीय सूची' अधिसूचित हो जाती है, तो केवल संसद कानून द्वारा सूची में समावेशन या बहिष्करण कर सकती है।

YOUR SUCCESS OUR PRIDE
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

11. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी)

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) भारत में एक वैधानिक निकाय है जो उन व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है जो या तो अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाने के कारण केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना के अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, या संबंधित अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2019 में संशोधित) के तहत आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
CIC का गठन 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इसका अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है।

❒ पृष्ठभूमि

- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए 1990 के दशक की शुरुआत में राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा आरटीआई आंदोलन शुरू किया गया था।
- आरटीआई अधिनियम, 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम का स्थान लिया। इसने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान नहीं किया।
- इसने एक स्वतंत्र निकाय का प्रावधान नहीं किया।
- केवल सरकारी अधिकारियों को सूचना तक पहुँचने की स्वतंत्रता थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) में शामिल है
- (ए) जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए प्रदान करता है क्योंकि कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है अगर वह अच्छी तरह से सूचित हो।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 21 में पसंद और सम्मान का अधिकार शामिल है।
- इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जानने का अधिकार होगा क्योंकि सूचना विकल्पों की ओर ले जाती है।
- एक जानकार नागरिक लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करता है।

❒ आरटीआई अधिनियम की सामान्य प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति, जो निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है, या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति ऐसे अधिकारी से अपील करना पसंद करती है जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पद से वरिष्ठ हो, जैसा भी मामला हो:
निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर होगी जिस दिन निर्णय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था:
- केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, का निर्णय बाध्यकारी होगा।
- न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का वर्जन।
(हालाँकि एक रिट याचिका *U/Art. 226* उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।)

❒ केंद्रीय सूचना आयोग संरचना

- सीआईसी में सदस्य - सीआईसी का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा किया जाता है और सीआईसी की सहायता के लिए दस से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं।
- सीआईसी में आयुक्त की नियुक्ति - आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसमें शामिल हैं

अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

➢ कार्यालय का कार्यकाल - मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेंगे। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

❒ केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका

1. केवल उचित आधार पर ही किसी मामले की जांच का आदेश दें (स्वयं प्रेरणा शक्ति) ।
2. किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से अपने निर्णयों का सुरक्षित अनुपालन।
3. किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना और पूछताछ करना:

जिसे निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के लिए उसके अनुरोध का कोई जवाब नहीं मिला है।
जो उसे दी गई जानकारी को अधूरा, झूठा या भ्रामक मानता है और जानकारी हासिल करने से संबंधित कोई अन्य मामला जो किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो।
कौन इस प्रकार वसूले गए शुल्क को अनुचित मानता है किसे मांगी गई सूचना से इंकार कर दिया गया।
आयोग के पास सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में किसी भी रिकॉर्ड की जांच करने की शक्ति है। ऐसे सभी अभिलेख परीक्षा के दौरान आयोग को देने होंगे और कुछ भी रोक कर नहीं रखा जाएगा।

❒ पूछताछ के दौरान, CIC के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ होती हैं, जैसे:

व्यक्तियों को समन करना और उपस्थिति को लागू करना, और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए बाध्य करना।
दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करें सीआईसी अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर भारत सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। इसके बाद इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

❒ हटाना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-14 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को कदाचार या राष्ट्रपति के आदेश से सिद्ध अक्षमता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय जांच करने के बाद निर्देश देता है। ऐसा करो। राष्ट्रपति, ऐसे निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसे राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक कार्यालय से निलंबित कर सकता है और यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जांच के दौरान उसे कार्यालय में प्रवेश करने से रोक भी सकता है।
राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को उनके पद से हटा भी सकते हैं:

a) यदि व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
b) एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जो राष्ट्रपति की राय में एक नैतिक पतन है।
c) आयुक्त या सीआईसी के रूप में कार्यकाल के दौरान वेतनभोगी रोजगार में शामिल होता है।
d) यदि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता (राष्ट्रपति की राय में) के कारण पद पर बने रहने में सक्षम नहीं है।

e) यदि व्यक्ति ने वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हैं।

यदि सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी तरह से भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से या किसी कॉर्पोरेट कंपनी के सदस्य के रूप में किए गए किसी अनुबंध या समझौते से जुड़ा है या उससे संबंधित है, तो उसे इस कारण से कदाचार का दोषी नहीं माना जाएगा।

मुख्य सूचना आयुक्त - श्री वाई के सिन्हा

RTI Act : Then vs. Now

TERM

2005 ACT: Chief Information Commissioner (CIC) and Information Commissioners (ICs) at central and state levels will serve for five years.

2019 BILL: Central government will notify the term of office.

SALARY

2005 ACT: At central level, salary of CIC and ICs equivalent to salary of Chief Election Commissioner and Election Commissioners, respectively. At state level, equivalent to salary of Election Commissioners and Chief Secretary, respectively.

2019 BILL: Salaries, allowances, and other terms and conditions of service of central and state CIC and ICs will be determined by the central government.

DEDUCTIONS

2005 ACT: At the time of appointment, if CIC and ICs (at central and state levels) are receiving pension or any other retirement benefits for previous government service, their salaries will be reduced by an amount equal to that pension. Previous government service includes service under: (i) the central government, (ii) state government, (iii) corporation established under a central or state law, and (iv) company owned or controlled by the central or state government.

2019 BILL: The Bill removes these provisions.

for Competitive Exams
(A unit of RACE)

12. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)

केंद्रीय सतर्कता आयोग सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है, केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है और केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकरणों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, क्रियान्वित करने, समीक्षा करने और सुधार करने में सलाह देता है।
सतर्कता का अर्थ है, विशेष रूप से कर्मचारियों और सामान्य रूप से संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करने की दिशा में स्वच्छ और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करना, क्योंकि सतर्कता की कमी बर्बादी, नुकसान और आर्थिक गिरावट की ओर ले जाती है।

इतिहास: CVC की स्थापना सरकार द्वारा 11 फरवरी, 1964 को श्री के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी।
2003 में, संसद ने CVC को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए CVC अधिनियम बनाया।
सीवीसी किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

❒ कार्य

- CVC को भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरूपयोग की शिकायतें प्राप्त होती हैं और उचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। निम्नलिखित संस्थान, निकाय, या एक व्यक्ति CVC से संपर्क कर सकते हैं: केंद्र सरकार, लोकपाल या व्हिसल ब्लोअर(मुखबिर)

 व्हिसल ब्लोअर एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो किसी कंपनी, या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी हो सकता है, या कोई बाहरी व्यक्ति (जैसे मीडिया, उच्च सरकारी अधिकारी, या पुलिस) किसी भी गलत काम के बारे में जनता या किसी उच्च अधिकारी को जानकारी का खुलासा कर सकता है, जो हो सकता है धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में

- यह एक जांच एजेंसी नहीं है। CVC या तो CBI के माध्यम से जांच करवाता है या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) के माध्यम से।
- लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किए गए कथित अपराधों की जांच करने का अधिकार है।
- इसकी वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देती है और प्रणालीगत विफलताओं की ओर इशारा करती है जिससे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार होता है।

रिपोर्ट में सुधार और बचाव के उपाय भी सुझाए जाते हैं।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

❒ **इतिहास**

➢ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई), जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। एसपीई का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेन-देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था।

युद्ध की समाप्ति के बाद भी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक केंद्र सरकार की एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई।

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम इसलिए 1946 में लागू किया गया था।

➢ अधिनियम की घोषणा के बाद, एसपीई के अधीक्षण को गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था और भारत सरकार के सभी विभागों को कवर करने के लिए इसके कार्यों का विस्तार किया गया था।

एसपीई का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया था और अधिनियम राज्य सरकार की सहमति से राज्यों तक इसके विस्तार के लिए प्रदान किया गया था।

➢ **1963** तक**,** एसपीई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की **91** विभिन्न धाराओं और **16** अन्य केंद्रीय अधिनियमों के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम **1947** के तहत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया था।

➢ भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति की सिफारिशों पर, 1 अप्रैल, 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्थापना की गई थी।

बाद में, इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है।

➢ **1964** में**,** सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए संथानम समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की स्थापना की गई थी।

➢ विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ (1997) के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीवीसी की श्रेष्ठ भूमिका के संबंध में निर्देश दिए।

इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की भूमिका की आलोचना की गई और अदालत ने निर्देश दिया कि सीवीसी को सीबीआई के ऊपर एक पर्यवेक्षक की भूमिका दी जानी चाहिए।

➢ सरकार ने 1998 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें CVC को वैधानिक दर्जा दिया गया और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (CBI) के कामकाज पर अधीक्षण करने की शक्तियाँ प्रदान की गईं, और निम्न से संबंधित जाँच की प्रगति की समीक्षा भी की गई:

➢ उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कथित अपराध।

➢ "केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003" के अधिनियमन द्वारा आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया था।

सीवीसी अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल नहीं थे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना था।

➢ सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 में एक मुखबिर श्री सत्येंद्र दुबे की हत्या के बाद दायर एक रिट याचिका में निर्देश दिया था कि कानून बनने तक मुखबिरों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।

उस निर्देश के अनुसरण में, भारत सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन (पीआईडीपीआई), 2004 को अधिसूचित किया:

- इस संकल्प को लोकप्रिय रूप से "व्हिसल ब्लोअर" संकल्प के रूप में जाना जाता है और इसने केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप या व्हिसल ब्लोअर से कार्यालय के दुरुपयोग पर शिकायतों या खुलासे को प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया।

- व्हिसल ब्लोअर को उत्पीड़न से बचाने के लिए आयोग को पीआईडीपीआई संकल्प के तहत शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन टू पर्सन मेकिंग द डिस्क्लोजर (PIDPPMD) बिल 2010 का नाम बदलकर "व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल, 2011" रखा गया, जिसे केंद्र सरकार ने संसद में "व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014" के रूप में अधिनियमित किया था।

- बाद के अध्यादेशों और विधानों के माध्यम से सरकार ने आयोग के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि की है।

- 2013 में, संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया।

इस अधिनियम ने सीवीसी अधिनियम, 2003 में संशोधन किया है जिसके द्वारा आयोग को लोकपाल द्वारा संदर्भित शिकायतों की प्रारंभिक जांच और आगे की जांच करने का अधिकार दिया गया है।

- सीवीसी अधिनियम और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के बीच अधिकार क्षेत्र के ओवरलैप के मुद्दे पर, आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की जांच के दौरान विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव भेजे हैं और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014

शासन

केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक विंग (सीटीई) और विभागीय जांच के लिए आयुक्तों (सीडीआई) का एक विंग है। जांच कार्य के लिए CVC को दो बाहरी स्रोतों CBI और मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) पर निर्भर रहना पड़ता है।

- **केंद्रीय सतर्कता आयोग**

बहु-सदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त (सदस्य) होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसमें प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोक सभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) शामिल होते हैं।).

(लोकसभा में, जब किसी नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तो लोकसभा में सरकार में विपक्ष के सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता माना जाएगा।
नियुक्ति समिति में कोई रिक्ति होने से नियुक्तियां अमान्य नहीं होंगी।)

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के कार्यालय का कार्यकाल उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है।

- **सेवा की शर्तें**

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
यदि सतर्कता आयुक्त को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसकी कुल सेवा सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित एक स्व-हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

❒ **<u>हटाना</u>**

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय जांच करने के बाद ऐसा करने का निर्देश देता है। राष्ट्रपति, ऐसे निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसे राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक कार्यालय से निलंबित कर सकता है और यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जांच के दौरान उसे कार्यालय में प्रवेश करने से रोक भी सकता है।
राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्तों को उनके पद से हटा भी सकते हैं:
a) यदि व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
b) एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जो राष्ट्रपति के नैतिक पतन का है
राय।
c) अपने कार्यालय की अवधि के दौरान वेतनभोगी रोजगार में शामिल होता है।
d) यदि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता (राष्ट्रपति की राय में) के कारण पद पर बने रहने में सक्षम नहीं है।

यदि व्यक्ति ने वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जो सतर्कता आयुक्तों के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हैं।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

13. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों वाले किसी भी पर्यावरणीय विवादों से निपटने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में की गई थी। इसका गठन राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के स्थान पर किया गया था। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से भी प्रेरणा लेता है जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का आश्वासन देता है।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बैठने के कुल पाँच स्थान हैं: भोपाल, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, जिनमें से, नई दिल्ली बैठने का प्रमुख स्थान है।

उद्देश्य

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :
पर्यावरण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान।
व्यक्तियों और संपत्तियों को हुए किसी भी नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना। विभिन्न पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए जिसमें बहु-अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल हैं।

ट्रिब्यूनल की संरचना

इसमें शामिल होंगे:
a) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष।
b) पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य 10 से अधिक लेकिन 20 से कम, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है।
ग) 10 से अधिक लेकिन 20 से कम के अधीन पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है।
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं जिनके पास ट्रिब्यूनल के समक्ष मामले में विशेष ज्ञान और अनुभव है, जो किसी विशिष्ट मामले में ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए है।
केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, ट्रिब्यूनल के सामान्य क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर सकती है।

योग्यता

कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, लेकिन एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय भी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा।

एक व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त होने के योग्य तभी होगा जब उसके पास:

मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (भौतिकी या जीवन विज्ञान में) के साथ डॉक्टरेट की डिग्री।

किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में प्रासंगिक क्षेत्र (प्रदूषण नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन, पर्यावरण समाधान, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन, जैव विविधता प्रबंधन और वन संरक्षण) में 15 साल का अनुभव होना चाहिए।

केंद्र या किसी राज्य सरकार या किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या राज्य स्तर के संस्थान में पर्यावरणीय मामलों में 5 साल के अनुभव के साथ 15 साल का प्रशासनिक अनुभव हो।

ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य एनजीटी में अपने कार्यालय के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे।अध्यक्ष, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या प्रशासन के संबंध में कोई रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे जो इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण का एक पक्ष रहा हो, उस तारीख से 2 साल की अवधि के लिए जिस पर वह पद पर नहीं है।

नियुक्ति

अध्यक्ष, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।
अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी।
ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों को ऐसी चयन समिति की सिफारिश पर और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है।

सेवा की अवधि और शर्तें

ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, लेकिन पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
यदि कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, को न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।
यदि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।
कोई भी विशेषज्ञ सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।

- **इस्तीफा -** एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकेंगे।

वेतन, भत्ते और अन्य प्रतिबंध और सेवा की शर्तें वही होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं और नियुक्ति के बाद उनके वेतन और भत्ते में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा।

हटाना

केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ट्रिब्यूनल के ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्यों को कार्यालय से हटाने में सक्षम होगी:
a) यदि व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
b) केंद्र सरकार की राय में एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो एक नैतिक पतन है।
c) यदि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता (केंद्र सरकार की राय में) के कारण पद पर बने रहने में सक्षम नहीं है।
d) वह व्यक्ति जिसने अपनी शक्तियों का इस तरह से दुरुपयोग किया है जिससे एनजीटी के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अध्यक्ष या न्यायिक सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसी जांच के बाद केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा, जिसमें से अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को उनके खिलाफ आरोपों से अवगत करा दिया गया हो और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया। केंद्र सरकार ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को तब तक पद से निलंबित करेगी जब तक कि उसके मामले की अदालत में जांच नहीं हो रही है।
केंद्र सरकार नियम से जांच प्रक्रिया को रेगुलेट कर सकती है।
विशेषज्ञ सदस्य को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा निर्दिष्ट आधार पर और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है। परन्तु विशेषज्ञ सदस्य को पद से तभी हटाया जायेगा जब उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर दिया गया हो।

❒ शक्तियां और अधिकार क्षेत्र

ट्रिब्यूनल के पास पर्यावरण से संबंधित पर्याप्त प्रश्न वाले सभी नागरिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र है (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित)।
न्यायालयों की तरह एक वैधानिक न्यायनिर्णय निकाय होने के नाते, एक आवेदन दाखिल करने पर मूल अधिकार क्षेत्र के अलावा, एनजीटी के पास एक न्यायालय (ट्रिब्यूनल) के रूप में अपील सुनने के लिए अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है।
ट्रिब्यूनल नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

किसी भी आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय को पारित करते समय, यह सतत विकास के सिद्धांतों, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करेगा।

एनजीटी के आदेश निम्नलिखित कर सकता है -

प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा (किसी खतरनाक पदार्थ को संभालने के दौरान होने वाली दुर्घटना सहित),

क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए, और ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए, जैसा कि ट्रिब्यूनल उचित समझे। ट्रिब्यूनल का एक आदेश/निर्णय/अवार्ड सिविल कोर्ट के डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य है।

□एनजीटी अधिनियम गैर-अनुपालन के लिए दंड की प्रक्रिया भी प्रदान करता है: एक अवधि के लिए कारावास जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है,

□ जुर्माना जो दस करोड़ रुपये तक हो सकता है, और जुर्माना और कारावास दोनों।

□ एनजीटी के आदेश/निर्णय/अवार्ड के खिलाफ आम तौर पर संचार की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

□ एनजीटी पर्यावरण से संबंधित सात कानूनों के तहत दीवानी मामलों से संबंधित है, इनमें शामिल हैं:

□ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974,

□ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980,

□ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986,

□ सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और जैविक विविधता अधिनियम, 2002।

इन कानूनों से संबंधित किसी भी उल्लंघन या इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

14 . मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग

- धारा 16, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गठित।
- 21 जुलाई 2017 को स्थापित।
- प्रकृति - सांविधिक निकाय।
- मुख्यालय - सतपुड़ा भवन, भोपाल
- अध्यक्ष – राजकिशोर स्वान (प्रथम और वर्तमान पदाधिकारी)
- उद्देश्य - एनएफएसए, 2013 का बेहतर कार्यान्वयन।

a. **संविधान:** अध्यक्ष और सदस्य राज्य आयोग में शामिल होंगे-

(a) एक अध्यक्ष;

(b) पांच अन्य सदस्य; तथा

(c) एक सदस्य-सचिव, जो राज्य सरकार का एक अधिकारी होगा जो उस सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं होगा:

(d) बशर्ते कि कम से कम दो महिलाएं हों, चाहे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हों:

(e) और कम से कम अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पात्रता
अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा-

जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य हैं या रह चुके हैं या संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखते हैं। कृषि, नागरिक आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य या कोई संबद्ध क्षेत्र; या

(i) कृषि, कानून, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित; या

(ii) जिनके पास गरीबों के भोजन और पोषण अधिकारों में सुधार से संबंधित कार्य का सिद्ध रिकॉर्ड है।

सेवा की अवधि और शर्तें

अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने कार्यालय में आने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

नियुक्ति की पद्धति और अन्य नियम और शर्तें जिनके अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की जा सकती है, और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (ऐसी बैठकों में कोरम सहित) और इसकी शक्तियाँ ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

निष्कासन

राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है जो-

a. किसी भी समय दिवालिया के रूप में घोषित किया गया है; या

b. सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

c. एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है; या

d. ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

e. अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।

- ऐसे किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को उप-धारा (9) के खंड (डी) या खंड (ई) के तहत तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

- **आयोग के कार्य**
- राज्य आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्: -
- राज्य के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना;
- या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर अध्याय II के तहत प्रदान की गई पात्रता के उल्लंघन की जांच करें;
- इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देना;
- राज्य सरकार, उनकी एजेंसियों, स्वायत्त निकायों के साथ-साथ प्रासंगिक सेवाओं के वितरण में शामिल गैर-सरकारी संगठनों को खाद्य और पोषण संबंधी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देना, ताकि व्यक्ति इस अधिनियम में निर्दिष्ट अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें। ;
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;
- वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

MCQ on Unit 10

1. भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ?

केवीके सुंदरम

एसपी सेन वर्मा

सुकुमार सेन

राजमन्नार

2. भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

1922

1924

1926

1928

3. यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति

संसद

नियुक्तियों पर कैबिनेट समिति

4. यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है?

संसद

अध्यक्ष गृह

मंत्री

प्रधानमंत्री

5. मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे?

इंदिरा गांधी

मोरारजी देसाई

राजीव गांधी

वीपी सिंह

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

6- निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

7.निम्नलिखित में से किनके खातों की CAG द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जाती है?
नगरपालिका संस्थान
राज्य सरकारें
सरकारी कंपनियां
केंद्र सरकार

8. निम्नलिखित में से किसे भारत का "सार्वजनिक कोष का संरक्षक" कहा जाता है?
आरबीआई गवर्नर
कैग
सुप्रीम कोर्ट
केंद्रीय वित्त मंत्री

9. निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए भारत में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है?
2 साल
3 वर्ष
चार वर्ष
कोई भी अवधि जो राष्ट्रपति को उपयुक्त लगती है

10. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं?

केवल संघ सरकार
संघ सरकार और राज्य सरकार संघ,
राज्य के साथ-साथ स्थानीय सरकारें
संघ और स्थानीय सरकारें

11. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के सदनों या उनकी समिति में बोलने का अधिकार देता है?
अनुच्छेद 76
अनुच्छेद 86
अनुच्छेद 96
अनुच्छेद 106

12. निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए कोई संवैधानिक दिशानिर्देश मौजूद नहीं है?
चुनाव आयोग योजना आयोग वित्त आयोग यूपीएससी

13. निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है?
वित्त आयोग
योजना आयोग
यूपीएससी
चुनाव आयोग

14. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है?
चुनाव आयोग
संघ लोक सेवा आयोग
नीति आयोग
वित्त आयोग

15. निम्नलिखित में से किसने 1950 में एक संकल्प के माध्यम से अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में योजना आयोग की स्थापना की?
प्रधान मंत्री
संसद
लोकसभा
कैबिनेट

16. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
NHRC का अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए
NHRC का अध्यक्ष भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए
NHRC के अध्यक्ष को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मानवाधिकार वकील के रूप में 15 वर्षों के अभ्यास का अनुभव होना चाहिए
NHRC का अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए

17. निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का उल्लेख संविधान में नहीं है?
वित्त आयोग
लोकसभा सचिवालय
चुनाव आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

18. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश
भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवा करने वाले
सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश
भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

19. निम्न में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है?
राजमन्नार समिति
सरकारिया आयोग
काका कालेलकर आयोग
रंगराजन समिति

20. श्री के. संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था?
केंद्रीय सतर्कता आयोग
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
राज्य पुनर्गठन आयोग
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग